18.00 hrs.

MOTION Re : REPORT OF THE STUDY TEAM ON PR)HIBITION

श्री कांबले (लातूर) : सभापति महोदय, जो रिपोर्ट प्राहिबीशन के सम्बन्ध में हाउस के सामने पेश हुई है, मैं उसके सम्बन्ध में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। इस रिपोर्ट के दो भाग हैं, इन दोनों भागों में बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है। बहुत सारी विवेचना इस रिपोर्ट के अन्दर है। मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं लेकिन कुछ ठोस और खास बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि क्या नशाबन्दी हमारे लिए आवश्यक है? क्या यह जरूरी है कि हम मद्यपान न करें? इस पर ध्यान देने से आपको पता चलेगा कि जो भी काम हम अपने हाथ में लेते हैं चाहे वह खेती का हो, व्यापार का हो या यांत्रिक युग और विज्ञान का हो उसके लिए आवश्यक है कि आदमी का मस्तिष्क ठीक तरह से काम करे। अगर मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है तो वह उस काम को ठीक तरह से कर नहीं सकता। और यह शराब एक ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क का सन्तुलन खो देती है। इसीलिए हमारे देश में हमारे नेताओं ने यह आवश्यक समझा था कि अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का सन्तुलन ठीक रखना है, लोगों को किसी चीज का ज्ञान देना है, किसी चीज को उन्हें सिखलाना है तो उसके लिए जरूरी है कि इन्सान का दिमाग ठीक रहे और इसीलिए नशाबन्दी का होना बहुत ही जरूरी है। इस बात का प्रचार आजादी के पहले और बाद में भी किया गया यदि हम धार्मिक ग्रंथों को देखें, हिन्दू धर्म के वेद तथा शास्त्रों को देखें, क्रिश्चियन्स की बाइबिल को देखें या मुसलमानों की पवित्र कुरान को देखें तो किसी ग्रंथ में भी इस प्रकार की विचारधारा नहीं है कि आदमी शराब पिये। हर स्थान पर इसका खंडन किया गया है। सभी महापुरुषों ने, चाहे वे लोकमान्य तिलक हों या महात्मा गांधी जी हों जोकि इस देश के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए अग्रसर थे, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया है और कहा है कि नशा इन्सान के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है और इसलिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि शराबबन्दी को जहाँ जहाँ भी ढील दी गई है, जहां-जहाँ शराबबन्दी नहीं है वहाँ पर देखने से पता चलता है कि हालत कितनी खराब हुई है। शराब पीने से शारीरिक हानि और आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही साथ सामाजिक जीवन में भी वह बहुत बुरी साबित होती है। जहां पर नशाबन्दी खुल गई है—मुझे पता है कि महाराष्ट्र और आंध्र के कुछ ऐसे हिस्से है जहां पर शराबबन्दी लागू नही है—वहां पर दिन प्रतिदिन गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। आदमी जब शराब पी लेता है तो वह अपना सन्तुलन खो देता है। इससे उसकी आर्थिक अवस्था बिगड़ती है और वह सामाजिक जीवन में भी गुनाहों को बढ़ावा देता है। इसमें शिकार कौन होते हैं? इसमें वही शिकार होते हैं जो कि गरीब लोग हरिजन और गिरिजन हैं। अगर उनको लत लग जाती है तो फिर वह जितना भी पैसा कमाते हैं उससे शराब और ताड़ी, अगर वह खुली मिल रही है, खरीद कर पीते हैं और फिर नशे में चूर होकर कई प्रकार के गुनाहों को जन्म देते हैं। चूंकि वे अशिक्षित होते हैं इसलिए जब वे पी लेते हैं तो फिर घरों में आकर मार-पीट भी करते हैं। उनके घरों की स्त्रियां रोती फिरती हैं। इस प्रकार के दृश्य आपको वहां देखने को मिलेंगे। कई प्रकार की घटनायें इस सम्बन्ध में आपको नजर आयेंगी जिनकी कि इस रिपोर्ट में भी काफी चर्चा की गई है।

इसी प्रकार से और भी बहुत सी हानियां होती हैं जोकि मैं आपके सामने रख सकता हूं। जैसे कि मोटर ड्राइवर और रेल इंजन के

[श्री कांबले]

ड्राइवर हैं, वे जब शराब पीकर गाड़ी या मोटर को चलाते हैं तो फिर एक्सीडेन्ट्स को रोकना उनके अपने हाथ की बात नहीं रह जाती है। इस प्रकार के कई एक्सीडेंट्स हुए हैं जबकि ड्राइवर्स ने शराब पीकर गाड़ियां चलाई है। इसी प्रकार से ट्रक ड्राइवर्स की बहुत सी शिकायतें मिली हैं जबकि उन्होंने शराब पीकर ट्रकें चलाई हैं और एक्सीडेंट्स किए हैं। यदि जनता को इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाना है और इस प्रकार के गुनाहों से बचाना है तो फिर जरूरी है कि नशाबन्दी के कानून को सख्ती से अमल में लाया जाये।

बहुत से भाई कहते हैं कि नशाबन्दी का कानून असफल रहा है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वह कानून असफल रहा है तो उसमें किसकी कमजोरी है? हो सकता है कि हमारे समाज की कमजोरी हो या फिर जो सरकार को चलाने वाले हैं उनकी कमजोरी हो। लेकिन किसी कानून के असफल होने का मतलब यह तो नही होता है कि उस कानून को ही हटा दिया जाये। आज समाज में चोरियां और डकैतियां होती हैं तो क्या जो उनको रोकनें वाले कानून हैं उन्हीं को हटा दिया जायेगा? वही चीज यहां पर भी लागू होती है। जब कोई गुनाह होता है तो उसको कानून के जरिये ही रोका जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि अगर कोई कानून फेल हो गया है तो उस कानून को ही उड़ा दिया जाये। किसी कानून को उठा लेने से उस बुराई को दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि कानून का होना लाजमी है। हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटियां और कमजोरियां हों तो उनको ठीक किया जाये। साथ ही साथ कुछ प्रचार का काम भी करें क्योंकि प्रचार से उस कानून को सफल बनाने में बड़ी मदद मिलेगी।

और भी बहुत सी बातें हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना जरूरी है। इस सिलसिले में आप देखेंगे कि गुनाहों को जन्म देने वाली सबसे पहली शराब ही है। इस शराब के कारण कितनी ही छुरेबाजी होती हैं, कितनी ही शादियों में झगड़े होते हैं, कितने कत्ल और खून होते हैं कितनी ही बर्बादियां और अनेक गुनाह होते हैं तो क्या इसको यह समाज बर्दाश्त करेगा? ठीक है, कुछ भाइयों के भाषण इस प्रकार के भी हुए हैं कि शराब के नशे में कुछ बिगड़ता नहीं है। उन्होंने कहा कि शराब कोई बुरी चीज नहीं है, शराब पीकर आनन्द से जिन्दगी बीत सकती है। मैं कहूंगा कि जो धनी लोग हैं जो कि महलों में रहते हैं उनको सरकार शराब पिलाकर आराम दे सकती है लेकिन जो देहात के गरीब लोग हैं और जो उनकी महिलायें हैं उन पर इस प्रकार से जुल्म बढ़ाने की बात तो नहीं होनी चाहिए। जो बेचारे मिल के मजदूर हैं, जो कि दो तीन रुपये रोज कमाते हैं वे अपनी सारी कमाई शराब में डाल देते हैं, उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं रह जाता और फिर अपनी पत्नी को पीटते हैं। तो यह जो जीवन को बर्बाद करने वाली जो बातें हैं उनको रोकना बहुत ही जरूरी है। लोगों को नशा पिलाकर आमदनी बढ़ाना और शासन चलाना—मैं समझता हूं यह कोई प्रशंसा की बात नहीं होगी। सरकार अपनी आमदनी और जरियों से भी बढ़ा सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेहरबानी करके सरकार इस कानून को सख्ती से लागू करे।

अन्त में मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि समाचार पत्रों में शराब के जो विज्ञापन निकलते हैं उनको बिल्कुल बन्द किया जाये। अगर ठीक ढंग से इस कानून को लागू करना है तो उसके लिए यह बहुत ही जरूरी होगा कि शराब के जो एडवर्टाइजमेंट होते। हैं उनको तो बिल्कुल बन्द कर दिया जाए बल्कि उनके स्थान पर इस बात का प्रचार किया जाये कि नशा पीने से

ये ये हानियां होती हैं, इतने रोग लगते हैं, इतने तरह की त्रुटियां हैं और आदमी का मस्तिष्क काम नहीं करता है। इसके साथ-साथ डाक्टरों के विचारों को भी जोड़ दिया जाये। रेडियो के साथ-साथ आपके पास टेलिविजन भी है, उसके द्वारा भी आप इसका प्रचार कर सकते हैं कि शराब पीने से ये ये हानियां होती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश में फिल्में प्रचार का बहुत बड़ा साधन है। हम फिल्मों के जरिये भी लोगों को सिखा सकते हैं कि शराब बुरी चीज है, वह गुनाहों को जन्म देती है और उससे आदमी की सारी त्रुटि भ्रष्ट हो जाती है तो इन बातों को ध्यान में रखकर, जिन प्रान्तों में आज नशाबन्दी नहीं है वहां पर भी उसको लागू करने की कोशिश की जाये और जहां पर नशाबन्दी लागू है वहां पर उसको ठीक से अमल में लाने का प्रयत्न किया जाये। अगर सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का उत्थान करना है तो उसके लिए जरूरी है कि इस कानून को हर जगह पूरी पाबन्दी के साथ लागू किया जाये और प्रचार के जरिये से उसको पूर्ण रूप से सफल बनाने का प्रयत्न किया जाये।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे अधिकारी हैं, आफिसर्स हैं अगर वही शराब पियेंगे तो फिर जनता में उसका क्या माहौल बनेगा। फिर किस दृष्टि से जनता में बैठकर इस सम्बन्ध में चर्चा हो सकती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो रिपोर्ट आपके सामने है और जो कई सुझाव आये हैं यदि आप वास्तव में जनता में इन गुनाहों को बन्द करना चाहते हैं—तो नशाबन्दी कानून को सख्ती से लागू किया जाये पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त की जाये।

MR. CHAIRMAN : Dr. Sushila Nayar.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, I am not asking for a quorum. But should I take it that only teetotallers are present in the House ?

DR. SUSHILA NAYAR (Jhansi) : That is why I had pleaded with the Speaker that this is not the time to keep this discussion. If they are serious about this discussion, we should bring it up at a proper time. To keep it at the fag-end of the day is not good. Just look at the House where even a dozen Members are not present ?

There is no quorum in the House. Without quorum, no business should be transacted.

MR. CHAIRMAN : The bell is being rung.

Now, the bell has stopped ringing and there is no quorum. The House stands adjourned till 11 A. M. tomorrow.

18.14 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 11, 1970/Agrahayana 20, 1892 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6.